संख्या-3/2022/4582/96-आयुष-1-2021-ई0पत्रा0-1409489

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
यूनानी सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 07 जनवरी, 2022**

विषय-राजकीय यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ हेतु यूनानी विभाग की आवश्यकतानुसार मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के क्रय के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-604/यू0नि0/1313-योजना/2021-22, दिनांक 13.07.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ हेतु प्रस्ताव में उल्लिखित कुल 11 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस एवं जेम (GeM) से क्रय किये जाने हेतु अनुदान संख्या-33 के अंतर्गत धनराशि रू0-50.00 लाख (रूपया पचास लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि रू0-50.00 लाख (रूपया पचास लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) निदेशक, यूनानी सेवायें तथा संबंधित अधीक्षक द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 22.03.2021 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) निदेशक, यूनानी सेवायें तथा संबंधित अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, यूनानी सेवायें तथा संबंधित अधीक्षक की होगा।

(3) निदेशक, यूनानी सेवायें तथा संबंधित अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, यूनानी सेवायें तथा संबंधित अधीक्षक का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, यूनानी सेवायें तथा संबंधित अधीक्षक द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) निदेशक, यूनानी सेवायें तथा संबंधित अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/डाक घर खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(8) उपकरणों/सामग्री का क्रय निदेशक, यूनानी सेवायें तथा संबंधित अधीक्षक द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमानुसार किया जाएगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : **4210**-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-**04**-यूनानी औषधि निर्माणशाला-**00** के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-3-3429/दस-2021, दिनांक 07.01.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-3/2022/4582(1)/96-आयुष-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)।
(4) वित्त नियंत्रक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ (द्वारा निदेशक, यूनानी)।
(6) संबंधित अधिकारी (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)।
(7) आयुष अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

शैलेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in